

**कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जौनपुर।**

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 को शेष अवधि (8 माह) हेतु जनपद न्यायालय परिसर, जौनपुर स्थित निम्नलिखित दुकानों/प्रतिष्ठानों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक **29.09.2021** को **02-00 बजे** दिन में परिसर स्थित सभागार में की जायेगी। नीलामी योग्य दुकानों आदि का विवरण, उनके लिए न्यूनतम बोली की धनराशि एवं धरोहर की धनराशि निम्नवत् की गई है-

क्र.सं.	दुकान/ टेका का विवरण	न्यूनतम बोली की धनराशि (8 माह हेतु)	धरोहर/प्रतिभूति की धनराशि 25 प्रतिशत
1	कॉन्टैनर न्याय भवन	79,750-00	19,940-00
2	पान शॉप 1	30,553-00	7,640-00
3	पान शॉप 3	19,000-00	4,750-00
4	पान शॉप 6	17,556-00	4,389-00
5	पान शॉप 7	27,579-00	6,895-00
6	वाहन स्टैंड न्याय भवन	77,550-00	19,380-00

उक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों/ठेकेदारों को निम्नलिखित शर्तों का पालन अनिवार्यतः करना होगा-

1. बोलोदाता/अन्यथा के विरुद्ध विगत किसी वर्ष के सम्बन्ध में कोई धनराशि अवशेष नहीं होनी चाहिए।
2. बोलोदाता/अन्यथा को दिनांक **28.09.2021** की रात **4.00 बजे** तक ऊपर सलग-4 में अंकित धनराशि बतौर प्रतिभूति/धरोहर नकद/सेकंड के रूप में नज्दत अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. बोलोदाता/अन्यथा को धरोहर/प्रतिभूति की धनराशि के साथ दिनांक **29.09.2021** तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास, हेसियत एवं चोरित प्रमाणपत्र सत्यापित फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही अन्यथा को नोटरी शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में विचारण नहीं चल रहा है, उसे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित अथवा दोषसिद्ध नहीं किया गया है एवं उसके विरुद्ध किसी मुलेम नाम के पजीकृत अभियोग की विवेचना लम्बित नहीं है।
4. प्रत्येक दुकान के सम्बन्ध में अन्तिम बोली/नीलामी की धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 2 समान भागों में प्रत्येक पैदाश में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. अन्तिम बोली/नीलामी के प्रथम भाग में धरोहर की सम्पूर्ण धनराशि समायोजित कर ली जायेगी, किन्तु प्रथम भाग के सक्षम धरोहर की धनराशि कम होने की तथा में अन्यथा को अन्तर की धनराशि, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष के प्रथम पैदाश में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. अन्तिम बोलोदाता/अन्यथा सम्पूर्ण नीलामी की धनराशि संवेक्ष्य एक मुस्त जमा कर सकता है किन्तु ऊपर क्रमांक-3 पर अंकित शर्तों में कोई उद्देश्य नहीं दी जायेगी।
7. नीलामी की अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित बोलोदाता/ठेकेदार का निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा-
  1. ठेकेदार को नियमानुसार जनरल स्टैप पर एक अनुसंधान लिखना होगा।
  2. किसी ठेकेदार को नीलामी में स्वीकृत दुकान संचालित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
  3. दुकानदार को किन्हीं वायव्य प्रत्येक सामान की मूल्यसूची दुकान पर प्रदर्शित करना होगा और जनपद न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही सामान का विक्रय करना होगा।
  4. दुकान का संचालन अर्थात् निर्माण पर किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में ठेकेदार को अपने व्यय पर दुकान स्वयं हटाना होगा अन्यथा दुकान हटाने में होने वाले व्यय की पशुली दुकानदार से की जायेगी।
  5. दुकानदार को बिजली एवं पानी की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी तथा दुकान के चारों ओर सफाई व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी।
  6. सम्बन्धित दुकान के सम्बन्ध में राज्य सरकार/स्थानीय निगम का देय कर, यदि कोई हो, का भुगतान दुकानदार का स्वयं करना होगा।
  7. दुकान पर उपलब्ध सामग्री स्वाम्यधर एवं अच्छी गुणवत्तायुक्त होनी चाहिये।
  8. दुकानदार को दुकान की जमीन पर कोई अधिकार नहीं होगा।
  9. सम्बन्धित दुकान का निरीक्षण जनपद न्यायाधीश, प्रभारी अधिकारी नज्दत अथवा जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।
8. उपर्युक्त क्रमांक-4 में दर्शायी गई अवधि में देय धनराशि जमा न किये जाने की दशा में सम्बन्धित दुकान बन्द करा दी जायेगी तथा वस्तु की कार्यवाही नियमानुसार कानून राजस्व के रूप में की जायेगी।
9. उपर्युक्त नीलामी के द्वारा किसी दुकान/टेके को अनुज्ञा स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने अथवा सशर्तित करने का पूर्ण अधिकार जनपद न्यायाधीश, जौनपुर का होगा एवं इस सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, जौनपुर को होगा।

(रमेश दुबे)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

विशेष न्यायाधीश एसओ/एसडीओ एक्ट जौनपुर।

**जौनपुर जजश्रीव**

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस विज्ञापित को बतौर न्यूज वाइटम नियुक्त प्रकाशित करायें।
2. एनआईसी, जौनपुर की वेबसाइट पर प्रसारण हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, जौनपुर।
4. नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट, जौनपुर।
5. नोटिस बोर्ड, नगरपालिका परिषद, जौनपुर।
6. नोटिस बोर्ड, जिला पंचायत, कार्यालय, जौनपुर।
7. नोटिस बोर्ड, जिला चिकित्सालय, जौनपुर।
8. नोटिस बोर्ड, रेलवे स्टेशन, जौनपुर।
9. नोटिस बोर्ड, बस स्टैंड, जौनपुर।
10. नोटिस बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर।

(रमेश दुबे)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

विशेष न्यायाधीश एसओ/एसडीओ एक्ट जौनपुर।